भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

31.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1527 का उत्तर

मालवा रेलवे कनेक्टिविटी

1527. श्री गुरमीत सिंह मीत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजपुरा से चंडीगढ़ तक रेलवे लाइन बिछाने के उद्देश्य से प्रस्तावित या चल रही परियोजना क्या है, जिससे पूरे मालवा क्षेत्र को पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से जोड़ा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की स्थिति और दायरे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

मालवा रेलवे कनेक्टिविटी के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में श्री गुरमीत सिंह मीत के अतारांकित प्रश्न सं. 1527 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत और निष्पादित की जाती हैं न कि राज्य-वार/जिला-वार/शहर-वार क्योंकि भारतीय रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

वे क्षेत्र जो रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं, उन क्षेत्रों में नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण करना भारतीय रेल की एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है और यह राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य चयनित प्रतिनिधियों, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई मांगों, रेल की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

राजपुरा अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के माध्यम से चंडीगढ़ से रेल लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। बहरहाल, राजपुरा और चंडीगढ़ के बीच सीधी संपर्कता के लिए एक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

इसके बाद, राजपुरा-मोहाली नई लाइन परियोजना (23.89 किलोमीटर) को अपेक्षित सरकारी स्वीकृति के अध्यधीन बजट में शामिल किया गया था। तदनुसार, रेलवे द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना में कम यातायात अनुमान है। इसलिए, पंजाब राज्य सरकार से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने तथा परियोजना की 50% लागत साझा करने हेतु बार-बार अनुरोध किया गया। पंजाब सरकार ने अपनी सहमति नहीं दी है।

रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना भारतीय रेल की एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम छोर तक संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणों आदि के आधार पर शुरू

किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की दायिताओं, धन की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों आदि पर निर्भर करता है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, पंजाब राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली ₹19,843 करोड़ लागत वाली 1,158 कि.मी. की कुल लंबाई की 12 रेल परियोजनाएं (06 नई लाइनें और 06 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 255 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक ₹7590 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

(i) ₹11,220 करोड़ की लागत वाली 367 कि.मी. कुल लंबाई की 6 नई लाइन परियोजनाएं हैं, जिनमें से 61 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक ₹5546 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

(ii) ₹8623 करोड़ की लागत वाली 791 कि.मी. कुल लंबाई की 6 दोहरीकरण परियोजनाएं हैं, जिनमें से 194 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक ₹2,044 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

वर्ष 2014 से, भारतीय रेल के परियोजनाओं के निधि आबंटन और परियोजनाओं की तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पंजाब राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाएं एवं संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
2009-14	₹225 करोड़वर्ष/	-
2023-24	₹4762 करोड़	21 गुना से अधिक
2024-25	₹5147 करोड़	लगभग 23 गुना

यद्यपि निधि आबंटन में कई गुना वृद्धि हुई है, परन्तु परियोजना के निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। पंजाब राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली महत्वपूर्ण

अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। नंगल डैम-तलवाड़ा नई रेल परियोजना, कुल आवश्यक 89.92 हेक्टेयर भूमि में से केवल लगभग 17.17 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयास शुरू किए थे, परन्तु परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सफल नहीं हो सकी। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए पंजाब सरकार के समर्थन की आवश्यकता है।

रेल परियोजना (परियोजनाओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत वहन परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत की हिस्सेदारी जमा कराने, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना (परियोजनाओं) के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

*****